पत्रांक–अ0स0क0 08–13/2012................/

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक

गो0एस0आई0 फैसल

विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में

सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी

बिहार।

विषयः मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के कार्यान्वयन में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कर्त्तव्य/दायित्व का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा संचालित है। जिला स्तर पर निगम की अपनी कोई आधारभूत संरचना नहीं होने के कारण जिला स्तर पर योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने में कठिनाई हो रही है। जिला स्तर पर उक्त योजना के कार्यान्वियन/समीक्षा/अनुश्रवण के क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निम्नांकित दायित्व सौंपें जाते हैः–

1. योजनान्तर्गत पूर्व से गठित जिला स्तरीय चयन समिति ही आवेदकों के चयन का कार्य करेगी। आवेदन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने के पश्चात् जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी पूर्व की भांति आवेदन प्राप्त करेंगे एवं ससमय नियमानुसार चयन करवाकर अनुशंसा के साथ चयनित आवेदकों की सूची निगम को प्रेषित करेंगे।

2. आवेदकों के चयनोपरान्त, निगम के प्रमण्डलीय प्रभारी अथवा जिला प्रभारी द्वारा स्थल निरीक्षण, समर्पित/वांछित कागजात का मूल प्रति से मिलान कर सत्यापन एवं दस्तावेजीकरण का काम जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की निगरानी में किया जायेगा। कागजीकरण का कार्य मुख्यतः आवेदक एवं गारंटर का हस्ताक्षर प्रमण्डलीय प्रभारी अथवा जिला प्रभारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की उपस्थिति में उनके कार्यालय में करवायेंगे एवं गारंटी बाण्ड पर प्रभारी का हस्ताक्षर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। आवेदक के दस्तावेजीकरण के पश्चात्

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा इसे अपनी अनुशंसा के साथ भुगतान हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को प्रेषित किया जायेगा।

3. योजनान्तर्गत वितरित राशि की ससमय वसूली का कार्य महत्त्वपूर्ण है। वसूली का कार्य मूलतः निगम के द्वारा जिला स्तर पर कमीशन के आधार पर नियोजित वसूली अभिकर्त्ता के द्वारा किया जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पत्रांक–1313, दिनांक–07.07.2014 द्वारा ऋण वसूली की समीक्षा एवं अनुश्रवण जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। वर्त्तमान में निगम द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण के अतिरिक्त शिक्षा ऋण एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से प्राप्त टर्म लोन की राशि वितरित है। इनकी वसूली का कार्य वर्णित विभागीय पत्र के आलोक में की जायेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ऋण वसूली के लिए वसूली अभिकर्त्ता का कार्य क्षेत्र आवंटित करते हुए यदि आवश्यक हुआ तो वसूली अभिकर्त्ता का नियमानुसार चयन कर इनके नियोजन हेतु अनुशंसा वित्तीय निगम को भेजेंगे। वसूली बढ़ाने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी वसूली अभिकर्त्ता के साथ साप्ताहिक बैठक एवं प्रमण्डलीय प्रभारी के साथ मासिक बैठक करेंगे, जिसकी कार्यवाही निगम को प्रेषित की जायेगी। वे नियमित अंतराल पर बकायेदार को नोटिस निर्गत करेंगे। महीने में एक बार जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी वसूली अभिकर्त्ता के साथ वैसे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे जहाँ बकायदारों की संख्या ज्यादा है और वसूली का प्रतिशत कम है। वे अपने स्तर से बकायदारों को ऋण चुकाने हेतु प्रेरित करेंगे।

4. योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, 9 प्रमण्डलीय मुख्यालय के जिलों एवं पूर्व के चिह्नित 7 एम.एस.डी.पी. जिलों (कुल 14 जिलों) को 25000/– रूपये वार्षिक आकस्मिक निधि उपलब्ध करायेगा। शेष जिलों को 12000/– रूपये प्रति वर्ष आकस्मिक निधि के तौर पर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम प्रथम चरण में 9 प्रमण्डलीय मुख्यालय के जिलों एवं 7 पूर्व के एम.एस.डी.पी चिह्नित जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के सहायतार्थ एक कम्प्यूटर ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक (बेल्ट्रान अथवा जिला पैनल से) की सेवा उपलब्ध करायेगा एवं इसका व्यय वहन निगम द्वारा किया जायेगा। द्वितीय चरण में शेष जिलों को ये सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

5. निगम द्वारा संचालित योजनाओं के समय सीमा और पारदर्शिता के साथ कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार

का प्रावधान किया गया है। कार्यो की समीक्षा मुख्यतः ऋण वसूली तत्पश्चात वित अन्य कार्यो पर आधारित होगी, जिसमें कुल वितरित राशि, कुल वसूल की गयी वसूली का प्रतिशत आदि के मानक होंगे। वर्ष में एक बार प्रथम छः माही में क समीक्षा कर पुरस्कृत कर्मियों की सूची जारी की जायेगी। उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन वा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का चयन कर उन्हें एक–एक लैपटॉप अथवा समतुल्य राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र, दो प्रभारियों को पचीस–पचीस हजार क एवं प्रशस्ति पत्र तथा 10 वसूली अभिकर्त्ताओं को दस–दस हजार रूपये की राशि य मूल्य का मोबाईल फोन प्रदान किया जायेगा।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

DAIRY No-

Date-

B.S.M.F.C. Ltd. Patna

15.6.18

विश्वासभाजन

ह0/–

विशेष सचिव–सह–निदे

ज्ञापांकः– अ0स0क0 08–13/2012................/ पटना, दिनांक......................./

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, अल्पस कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ0स0क0 08–13/2012................/ पटना, दिनांक......................./

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवायी प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ0स0क0 08–13/2012...641.../ पटना, दिनांक...13.6.18.../

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवायी हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक